न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः—16/2023 (GCMS No. 2023/16) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. राकेश पुत्री अमीरीसिंह पत्नि सुरेश
2. महेन्द्री पुत्री अमीरीसिंह पत्नि राजेन्द्र

} जातिगण त्यागी निवासीगण सरकनखेडा तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी सिघौंरा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर

..... अपीलान्टस

बनाम

1. राजाबेटी पुत्री अमीरीसिंह
2. भोलो पुत्री अमीरीसिंह

} जातिगण त्यागी निवासीगण सरकनखेडा तहसील व जिला धौलपुर

3. अरविन्द
4. कौशलेन्द्र

} पुत्रगण उर्मिला पुत्री अमीरीसिंह पत्नि दीनानाथ जातिगण त्यागी निवासी गढी गढसान तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0

5. नरेन्द्र
6. त्रिवेनी पत्नि अमीरीसिंह जाति त्यागी निवासी सरकनखेडा तहसील व जिला धौलपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी धौलपुर प्रकरण संख्या 13/2009 उनवानी त्रिवेनी बनाम ग्राम पंचायत दूबरा निर्णय दिनांक 15.12.2009 एवं आदेश तहसीलदार धौलपुर दिनांक 02.05.2010 बावत् नामान्तकरण संख्या 599 बांके ग्राम सरकनखेडा तहसील व जिला धौलपुर

उपस्थितिः— 1. श्री दिनेश शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री रामअवतार, वकील रेस्पोडैन्ट संख्या 2 लगायत 5

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

निर्णय

दिनांक— 06.04.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 15.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित विवादित आराजीयात अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडैन्ट्स संख्या 1 व 2 एवं रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 की माता उर्मिला के बाबा एवं रेस्पो0 संख्या 6 के ससुर हुक्मी पुत्र पोहपी मुताविक हिस्सा खातेदार काश्तकार थे तथा अपने जीवन पर्यन्त काबिज रहे। रेस्पोडैन्ट संख्या 6 द्वारा निर्णय दिनांक 09.04.1975 सरपंच ग्राम पंचायत दूबरा से नामान्तकरण संख्या 8 बांके ग्राम सरकनखेडा तहसील व जिला धौलपुर के विरूद्ध रेस्पो. संख्या 6 द्वारा अपील उनवानी त्रिवेनी बनाम ग्राम पंचायत दूबरा प्रकरण संख्या 13/09 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के यहॉ अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त कर अपने आपको त्रिवेनी वेबा हुक्मी के स्थान पर त्रिवेनी वेबा अमीरीसिंह दर्ज किये जाने हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 8 को निरस्त कर महज त्रिवेनी के पति के नाम की जांचकर पुनः नामान्तरकण आदेश पारित करने का आदेश दिनांक 15.12.2009 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2009 की पालना में तहसीलदार धौलपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 599 तारीख 02.05.2010 तस्दीक कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण मृतक हुक्मी पुत्र पोहपी के सम्पूर्ण वारिसान के नाम दर्ज किया है या नहीं। महज अपीलान्ट त्रिवेनी द्वारा अंकित कथनों पर यकीन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त नामान्तकरण रेस्पो0 संख्या 6 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साजकर अपने आपको हुक्मी की एकमात्र वारिस दर्शाकर नामान्तकरण दर्ज करा लिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथनों को देहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

होने से खारिज योग्य हैं। अपीलाधीन आदेश में वर्णित विवादित आराजीयात अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडैन्ट्स संख्या 1 व 2 एवं रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 की माता उर्मिला के बाबा एवं रेस्पो0 संख्या 6 के ससुर हुक्मी पुत्र पोहपी मुताविक हिस्सा खातेदार काश्तकार थे तथा अपने जीवन पर्यन्त काबिज रहे। रेस्पो0 संख्या 6 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साजकर अपने आपको हुक्मी की एक मात्र बारिस दर्शाकर अपने नाम नामान्तकरण संख्या 8 बांके ग्राम सरकनखेडा दर्ज करा लिया, जो असलियत के सर्वथा विपरीत व वमुकाबले हकूक अपीलान्टस प्रारम्भ से ही शून्य है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश एवं नामान्तरकण आदेश पारित करने पूर्व मृतक हुक्मी पुत्र पोहपी एवं अमीरीसिंह पुत्र हुक्मी के वारिसान की किसी प्रकार जांच नहीं की और मात्र रेस्पो. संख्या 6 से साजकर सम्पूर्ण विवादित आराजीयात को रेस्पो. संख्या 6 के नाम दर्ज कर दिया। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलान्टस को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया तथा कानूनी प्रावधानों से परे जाकर महज रेस्पो. संख्या 6 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश का ज्ञान अपीलान्ट्स को सर्वप्रथम दिनांक 23.01.2023 को पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराने पर हुआ। तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 02.02.2023 को नकल प्राप्त हुई। अपीलान्टस द्वारा ज्ञान से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की है। ऐसे शून्य आदेशों पर म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं फिर भी धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलधीन आदेश दिनांक 15.12.2009 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर एवं अपीलाधीन आदेश की पालना में पारित नामान्तकरण आदेश 02.05.2010 तहसीलदार धौलपुर बावत् नामा. संख्या 599 बांके ग्राम सरकनखेडा निरस्त फरमाया जाकर मृतक हुक्मी पुत्र पोहपी एवं उसके मृतक पुत्र अमीरीसिंह के सम्पूर्ण वारिसान की विधिवत जांचकर पुनः नामान्तरकण की कार्यवाही की जावे।

4. रेस्पोडैन्ट संख्या 2 लगा. 5 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह स्वीकार किया के रेस्पो.सं. 6 त्रिवेनी के पति का नाम हुक्मी न होकर अमीरीसिंह था। नामा. सं. 8 तहसीलदार द्वारा त्रिवेनी पत्नि हुक्मी के नाम गलत इन्द्राज किया। जिसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2009 से उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नामान्तरण संख्या 8 निरस्त करते हुये केवल रेस्पो. संख्या 6 के पति के नाम की जांचकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार को पत्रावली रिमाण्ड की। तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 599 केवल रेस्पो. सं. 6 के पति के नाम ही दुरूस्त किया। रेस्पो. सं. 6 त्रिवेनी के पति के समस्त वारिसानों के नाम नामान्तकरण नहीं चढाया है। अन्य वारिसानों का भी उक्त आराजी पर अधिकार था। अतः नामान्तकरण संख्या 599 को निरस्त करते हुये मृतक अमीरीसिंह के वारिसान की जॉचकर पुनः नामान्तकरण खोलने के निर्देश के साथ पत्रावली तहसीलदार को रिमाण्ड की जावे।

5. रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 6 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा उन्हें निर्णय दिनांक तक लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया, किन्तु कोई लिखित बहस भी निर्णय दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जहॉ तक अपील मियाद बाहर होने का संबंध है तो अधीनस्थ न्यायालय में चूँकि अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र में उल्लेखित आधार न्यायालय के मत में पर्याप्त हैं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमा किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट व रेस्पो संख्या 1 लगायत 5 का हित निहित होने के कारण अपीलान्ट के पीडित पक्षकार होने के आधार पर न्यायालय के मत में उनको अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अतः धारा 96 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

7. नामान्तरकण संख्या 8 बांके ग्राम सरकनखेडा तहसील धौलपुर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.04.1995 को रेस्पो. सं. 6 त्रिवेनी पत्नि हुक्मी दर्ज करते हुये स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण में अमीरीसिंह का नाम काटकर हुक्मी का नाम उल्लेखित है। इस नामान्तरकण की अपील रेस्पो. संख्या 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2009 को अपने निर्णय में नामान्तकरण संख्या 8 निरस्त करते हुये अपीलार्थी के पति के नाम की जॉच करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 599 दिनांक 02.05.2010 रेस्पो. सं. 6 त्रिवेनी के पति के नाम दुरूस्त करते हुये खोला गया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध इसी गांव के नामान्तरकरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संख्या 231 में मृतक अमीरी के रेस्पो. सं. 6 त्रिवेनी के अलावा अन्य वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडैन्ट संख्या 1 लगायत 5 का उल्लेख किया गया है। तहसीलदार धौलपुर को मृतक अमीरीसिंह के समस्त वारिसान की जॉचकर विधि सम्मत नामान्तरकण खोला जाना चाहिए था। मृतक अमीरीसिंह के समस्त वारिसान के स्थान पर केवल रेस्पोडैन्ट संख्या 6 त्रिवेनी के नाम नामान्तकरण खोला जाना न्यायालय के मत में किसी तरह से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय के मत में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 15.12.2009 नामान्तकरण संख्या 8 बांके ग्राम सरकनखेडा तहसील धौलपुर को निरस्तीकरण की हद तक यथावत रखा जाता है। उक्त अपीलाधीन आदेश की अनुपालना में तहसीलदार धौलपुर के नामान्तरण संख्या 599 दिनांक 02.05.2010 बांके ग्राम सरकनखेडा को निरस्त किया जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक हुक्मी व उसके पुत्र अमीरीसिंह के समस्त वारिसानों की जॉचकर विवादित आराजी का नियमानुसार नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.04.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर